न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/60/2022

राशिद आयु 26 वर्ष पुत्र श्री बरकत जाति कुरैशी निवासी गुधाला थाना पुन्हाना जिला नूँह (हरियाणा)

.....**प्रार्थी सुपुर्दगार**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत वाहन पिक अप बोलेरो नम्बर एच.आर.74 बी 1449 व मुकदा एफ.आई.आर. नम्बर 65/2022 थाना कैथवाडा अपराध अन्तर्गत धारा 5/8 आर.बी.ए.एक्ट

उपस्थित :–

1–श्री दिलीप कुमार शर्मा अभिभाषक प्रार्थी,

2–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 12.7.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना कैथवाडा ने दिनांक 16.4.2022 को प्रार्थी के वाहन बोलेरो पिकअप एच.आर.74बी 1449 को नाजायज रुप से गौवंश ले जाते हुये दिखाकर पकड कर थाने में खड़ा कर दिया है प्रार्थी सुपुर्ददार वाहन बोलेरो पिकअप एच.आर.74बी 1449 का जरिये मुख्त्यारनामा स्वामी है। अन्य कोई शख्स दावेदार नहीं है प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन में गौवंश को हरियाणाा गौकशी के लिये नहीं ले जा रहा था, पुलिस द्वारा रुपयों की मांग की गई नहीं देने पर झूंठा आरोप लगाकर मुकदमा लगाकर बन्द कर दिया है। प्रार्थी का वाहन खुले में खड़ा हुआ खराब हो रहा है जंगम हो रहा है प्रार्थी के जीवन यापन का यही एक मात्र साधन है। प्रकरण अभी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है अभिभग्रह की कोई कार्यवाही नहीं है। इन्टरिम सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, पुलिस थाना कैथंवाडा जिला भरतपुर से रिपोर्ट पत्रावली तलब की गई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थी जप्त वाहन का जरिये मुख्त्यारनामा स्वामी है तथा जप्त वाहन को सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि पुलिस ने वाहन को झूँठा मुकदमा लगाकर जप्त किया है। प्रार्थी का वाहन गौवंश तस्करी में लिप्त नहीं था। प्रकरण अभी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है। जप्त थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है, खुले में खड़े रहने से वाहन के खराब होने की संभावना है। जप्त वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे श्रीमान न्यायालय जो शर्त तैय करेगी प्रार्थी को स्वीकार होंगी। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पैराकार सरकार ए.पी.पी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी जप्त वाहन का मालिक नहीं है, केवल मुख्त्यानामा के आधार पर अपने को स्वामी बाताता है। जप्त वाहन का उक्त वाहन पुलिस थाना कैथंवाड़ा ने एफआईआर नंबर 65/2022 अन्तर्गत धारा 5,6/ 8 राजस्थान गौंवश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। उक्त वाहन प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये जाने मौके पर उक्त धारा में जप्त किया गया है। ए.पी.पी. ने राजस्थान गौवंशीयपशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) संशोधन अधनियम 2018 की धारा 6 व 6क में दिये गये प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी को जप्त वाहन सुपुर्दगी में नही दिया जा सकता है, उन्होने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थी ने अपने मौखिक कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया है जिससे यह माना जासके की जप्त वाहन गोंवश तस्करी में लिप्त नहीं था। जब कि थाना अधिकारी पुलिस थाना कैंथवाड़ा जिला भरतपुर राज0 से प्राप्त रिपोर्ट तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं उसके साथ प्राप्त पत्रादि से स्पष्ट है कि उक्त वाहन को गौवंश तस्करी परिवहन में लिप्त था। पुलिस थाना कैंथवाडा द्वारा गौवंश अधिनियम धारा 5/8 में मु0न0 65/2022 में उक्त वाहन को जप्त किया हुआ है। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी राज्य/स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। गौवंशीय पशु को जप्त वाहन से राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :–

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

"".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंवधित है.....।"

इस प्रकार जप्त वाहन गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। हम ए.पी.पी. के तर्को से सहमत हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निणर्य प्रति के साथ पत्रावली तहत वापिस पुलिस थानाधिकारी कुम्हेर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर